



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



शाखा कार्यालय: राय आमला

Branch : RAI AMLA

पता: ग्राम-राय आमला, जिला बैतूल, म.प्र. 460666,

+91-8226003764

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,
श्री विनोद पिता श्री बाबू राव विश्वकर्मा
पता - ग्राम एवं पोस्ट हिवरखेड, तहसील - मुलताई,
जिला बैतूल, म.प्र., 460661

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- श्री विनोद पिता श्री बाबू राव विश्वकर्मा, ऋण खाता क्रमांक- 3725017884 (CC), 3724584470 (TL) एवं 3830379296 (TL CENT GECL) .

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 19.08.2023 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 06.11.2023 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 31.08.2026 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाएगा।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

स्थावर संपत्ति का विवरण:

क्र	शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	संपत्ति के स्वामी का नाम	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	राय आमला	श्री विनोद पिता श्री बाबू राव विश्वकर्मा	देय राशि- रु. 7,07,250.23 + देय व्याज एवं अन्य खर्च (मांग नोटिस से)	श्री विनोद पिता श्री बाबू राव विश्वकर्मा	संपत्ति - सर्वे/खसरा क्रमांक 3/4, पी सी न. - 98, बंदोबस्त न. 308, एरिया- 0.016 हेक्टेयर, ग्राम- मसोद, तहसील - मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर में - कृष्णा राव की भूमि, दक्षिण में- वमन की भूमि, पूर्व में - 15 फीट कच्चा रोड , पश्चिम में- कच्चा रोड

स्थान: बैतूल
तिथि 14.08.2026

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया